

# कार्यालय जिला पंचायत, सीतापुर।

दिनांक - 183/मानचित्र/जि0पं0/2020-21

दिनांक: 00/4/2021

श्रीमती किरन बाला श्रीवास्तव,  
एस0के0वी0 अण्डर ऑसपिसीस,  
सतगुरु प्रसाद केशव प्रसाद विष्णु सहाय एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट  
स्थित ग्राम बोंसुरा, वि0ख0 रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ग्राम बोंसुरा, वि0ख0 रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में स्थित गाटा सं0 2071 पर व्यवसायिक/शैक्षणिक भवन सतगुरु प्रसाद केशव प्रसाद विष्णु सहाय एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट का निर्माण कराने हेतु मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त जिला पंचायत, सीतापुर की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 27.12.2014 के उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
2. उपरोक्त स्वीकृति मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत, सीतापुर की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, सीतापुर इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय सीतापुर होगा।
4. स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त किया जायेगा।
5. प्रस्तावित स्वीकृत मानचित्र संरचना के अनुरूप ही भूखण्ड का विकास कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत करना अनिवार्य होगा।
6. स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्रफल सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे- चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह, व नवीन परती भूमि एवं सीतापुर की महायोजना/नगरीय क्षेत्र से आच्छादित भूमि यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्नि शमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग, व अन्य शासकीय व अर्धशासकीय विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. उपविधि के अनुसार निर्माण के दौरान भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के आच्छादन पर पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रत्येक दशा में स्थापित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्ड स्वामी की होगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित न किये जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. यदि भूमि संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो जिला पंचायत, सीतापुर इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा उक्त मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. शासन के पत्र सं0 1422(1)/33-2-2019-152/2019 दिनांक 29.05.2018 के अनुक्रम में उपरोक्त मानचित्र का उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेग्युलेटरी अथारिटी में रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। कृपया तदनुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
10. लेबर सोस संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगतियों होने पर जिला पंचायत सीतापुर का उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भू/भवनस्वामी का होगा।
11. उपविधि नियमों एवं शर्तों के अधीन अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

अभिधन्ता,  
जिला पंचायत, सीतापुर।

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, सीतापुर।



